क.

एस. कलीस्वरन

वी.

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य पोलची टाउन ईस्ट पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु

एनएडीयू

(2017 की आपराधिक अपील संख्या 160)

नवंबर 3,2022

[उदय उमेश ललित**,** सीजेआई और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.]**

प्रमाणःपरिवेशी साक्ष्य-प्रशंसा-यह आरोप कि अपीलकर्ताओं ने साजिश को आगे बढ़ाने के लिए तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर एक कार की डकैती की, उसके चालक की हत्या की और शव को एक गड्ढे में दफनाया, और कार को भी बेच दिया और बिक्री की आय को साझा किया-उन सभी को अपराधों के लिए दोषी ठहराया।120(बी), 147,364,302 आर/डब्ल्यू एस। 120(बी) आई. पी. सी./149,201 और 396 और निम्नलिखित अदालतों द्वारा तदनुसार सजा सुनाई गई-आयोजितःपूरा अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था-अभियुक्तों में से एक का अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति जो अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत साबित नहीं किया गया था; कि पीडब्लू 6 और पीडब्लू 7 के साक्ष्य के आधार पर अंतिम बार देखे गए सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका बयान कथित घटना के 6 महीने बाद दर्ज किया गया था; कि भारी समय अंतराल को देखते हुए, टी. आई. पी. को अभियुक्त की पहचान करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए थी, हालांकि, कोई टी. आई. पी. आयोजित नहीं की गई थी; यह समझाने में विफलता कि किस परिस्थिति में पीड़ित को आरोपी द्वारा धारा 313 सी. आर. पी. सी. के तहत मृत्यु का सामना करना पड़ा; और यह कि कंकाल अवशेष घटना की तारीख से लगभग 5 महीने बाद पाए गए थे और इसकी पहचान खोपड़ी-अधिरोपण परीक्षण द्वारा की गई थी जिसे अचूक नहीं माना जा सकता था-इस प्रकार।120(बी), 147,364,302 आर/डब्ल्यू एस।120(बी)/149,201 और 396-अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति-अंतिम बार देखा गया सिद्धांत।

ग

डी.

ई.

च

जी.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की समग्रता को ध्यान में रखते हुए**,** परिस्थितियों ने

एच.

अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी-अभियुक्त की निर्दोषता की परिकल्पना को दूर करने के लिए श्रृंखला को पूरा नहीं किया। अभियोजन पक्ष स्पष्ट, ठोस और सुसंगत साक्ष्य के माध्यम से, घटनाओं की श्रृंखला को स्थापित करने में विफल रहा, जिसके आधार पर अपीलकर्ता-अभियुक्तों का अपराध स्थापित किया जा सका, निचली अदालतों ने अभियोजन के मामले को स्वीकार करने और उन्हें कथित अपराध के लिए दोषी ठहराने में त्रुटि की।निचली अदालत द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निर्णयों और दोषसिद्धि और सजा के आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है।**[**पैरा **15,16] [50-**ए-सी**]**

1.2 अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त नं**.** द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भारी निर्भरता रखी गई थी।**1** अभियुक्त सं**. 1** के पूर्व नियोक्ता को संबोधित एक अंतर्देशीय पत्र के माध्यम से। **1** जिसने **29.12.2007** पर वही प्राप्त किया था।ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त का कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति नं। **1** वह प्रेरक बिंदु था जिसने जाँच अधिकारी को कथित घटना के लगभग पाँच महीने बाद जाँच के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया।इस तथ्य के अलावा कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति सबूत का एक बहुत ही कमजोर टुकड़ा है, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में इस आधार पर उस पर भरोसा करने से इनकार कर दिया कि न तो लिखावट विशेषज्ञ की जांच की गई थी और न ही लिखावट विशेषज्ञ की कोई राय अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई थी।यह नहीं कहा जा सकता है कि जब अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति विधिवत साबित नहीं होती है, या विश्वास को प्रेरित नहीं करती है या किसी अन्य विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है, तो दोषसिद्धि केवल ऐसे कमजोर साक्ष्य पर आधारित नहीं हो सकती है।तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष ने आरोपी नं**.1** पी**.** डब्ल्यू**.-19** को कथित रूप से संबोधित अंतर्देशीय पत्र में निहित, और न ही किसी विशेषज्ञ की राय प्राप्त होने के बाद, उच्च न्यायालय ने आरोपी नं**.1.[**पैरा **8] [46-**जी-एच**; 47-**ए-सी**]**

ग

डी.

ई.

च

जी.

1.3 अगली परिस्थिति जिस पर अभियोजन पक्ष ने भारी निर्भरता रखी थी, वह पीडब्लू**-6** और पीडब्लू**-7** के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए "आखिरी बार एक साथ देखे जाने" के सिद्धांत के संबंध में थी।उल्लेखनीय है कि दोनों गवाह टैक्सी चालक थे और एक ही टैक्सी स्टैंड से टैक्सियों का संचालन कर रहे थे।

एच.

मृतक अपनी टैक्सी चला रहा था, हालांकि उनके बयान कथित घटना के लगभग छह महीने बाद जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए थे।**[**पैरा **9] [47-**डी-ई**]**

1.4 पीडब्लू**-6** और पीडब्लू**-7** के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह प्रतीत होता है कि इस तथ्य के अलावा कि कथित घटना के छह महीने बाद जांच अधिकारी द्वारा उनके बयान दर्ज किए गए थे, अदालत के समक्ष उनके साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं।जिरह में पीडब्लू**-6** ने स्वीकार किया था कि उसे मृतक के लापता होने के बारे में पता चला था, जब उसने मृतक को आरोपी नं**.1.** छह महीने तक अपने साथी टैक्सी चालकों या पुलिस को इस महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा न करने के उसके व्यवहार की सराहना करना मुश्किल है कि उसने मृतक को अंत में आरोपी नं**.1.**जहाँ तक पीडब्लू **7** का संबंध है, उसने बयान दिया था कि उसे मृतक के लापता होने के बारे में तभी पता चला जब पुलिस **01.01.2008** पर पूछताछ

के लिए आई।जब जाँच अधिकारी बार-बार टैक्सी स्टैंड पर आ रहा था, जहाँ पीडब्लू-**6** और पीडब्लू-**7** सहित सभी टैक्सी चालक मृतक के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए खड़े रहते थे, और जब स्थानीय समाचार पत्रों, टेलीविजन और रेडियो में मृतक के लापता होने के बारे में व्यापक प्रचार किया गया था, तो यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि पीडब्लू-**7** को मृतक के लापता होने के बारे में तभी पता चला जब पुलिस घटना के छह महीने बाद जाँच करने के लिए उसके पास आई। पीडब्लू-**7** ने यह भी स्वीकार किया था कि वह अन्य चार अभियुक्तों को नहीं जानता था जो अभियुक्त नं.**1** और घटना की कथित तिथि पर मृतक।जब घटना की तारीख और जांच अधिकारी द्वारा गवाहों के बयान दर्ज करने की तारीख के बीच लगभग छह महीने से अधिक का भारी समय अंतराल था, तो परीक्षण पहचान परेड ने पुलिस को पीडब्लू-**7** द्वारा देखे गए आरोपी की पहचान करने में सहायता की होगी, हालांकि जांच अधिकारी द्वारा ऐसी कोई टीआई परेड आयोजित नहीं की गई थी।इसलिए, अभियुक्त एन. ओ. एस. की पहचान। इन गवाहों के कहने पर **2** से **5** भी बहुत संदिग्ध हो जाते हैं।इसके अलावा, यदि व्यक्तियों के एक साथ देखने और अपराध के निकट समय के बीच काफी समय का अंतर है, तो पिछली बार एक साथ देखी गई परिस्थितियाँ, भले ही साबित हो जाएं, आरोपी के अपराध को स्पष्ट रूप से मजबूत नहीं कर सकती हैं।**[**पैरा **10,11] [48-**ए-जी**]** ए

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

41

एस. कलीस्वरन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य पोलाची टाउन ईस्ट पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर जिला, तमिल नाडु ए

1.5 अभियुक्त की बीमारी, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में, जिसमें यू/एस की व्याख्या करने के लिए "अंतिम बार एक साथ देखा गया सिद्धांत" शामिल था।**313 Cr.PC** कि किन परिस्थितियों में पीड़ित की मौत हुई, यह भी एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं होगा कि आरोपी कथित अपराध करने में शामिल थे।भले ही अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपादित "अंतिम बार एक साथ देखे जाने" के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए, फिर भी एक अटूट निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि आरोपी कथित अपराधों के दोषी हैं, केवल इसलिए कि वे यह समझाने में विफल रहे कि पीड़ित को किन परिस्थितियों में मौत का सामना करना पड़ा।**[**पैरा **12] [48-**जी-एच**; 49-**ए-बी**]**

ग

1.6 जब शव मिला, तो वह अत्यधिक सड़ी हुई स्थिति में था।मृतक के लापता होने की घटना की तारीख से लगभग **5** महीने बाद कंकाल के अवशेष पाए गए।इस प्रकार, फोरेंसिक विशेषज्ञ के माध्यम से खोपड़ी सुपर-इम्पॉसिशन परीक्षण करवाकर पहचान की गई।चूँकि सुपर-इम्पोजिशन रिपोर्ट किसी अन्य विश्वसनीय चिकित्सा साक्ष्य जैसे डी. एन. ए. रिपोर्ट या पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट द्वारा समर्थित नहीं थी, इसलिए सुपर-इम्पोजिशन परीक्षण के माध्यम से पीड़ित के शव की पहचान पर विश्वास करते हुए आरोपी को दोषी ठहराना बहुत जोखिम भरा होगा।यह सच है कि मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, यदि पूरी श्रृंखला ठोस साक्ष्य द्वारा विधिवत साबित होती है, तो दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, भले ही शव नहीं मिला हो, लेकिन जब अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़ित का शव आरोपी द्वारा दिखाए गए स्थान से मिला था, तो अभियोजन पक्ष की ओर से यह साबित करना अनिवार्य है कि मृत शरीर या आरोपी के कहने पर पाया गया कंकाल पीड़ित का था और किसी और का नहीं था।**[**पैरा **13] [49-**बी-एफ**]**

डी.

ई.

च

1.7 यह निवेदन कि अभियोजन पक्ष भी कथित अपराध करने के लिए अभियुक्त के उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा**,** स्वीकार किया जाता है।तत्काल मामले में**,** पीडब्लू**-8,** जिसे मृतक की राजदूत कार कथित रूप से आरोपी द्वारा बेची गई थी**,** मुकर गया था और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था कि आरोपी ने पीडब्लू को कार बेचकर पैसा प्राप्त किया था।**8. [**पैरा **14] [49-**एफ**-**एच**]**

जी.

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एस. सी. सी. 116; शिवाजी साहबराव बोबडे और अन्र बनाम

एच.

42 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 10 एस. सी. आर.

महाराष्ट्र राज्य (1973) 2 एस. सी. सी. 793; गोवा राज्य

बनाम संजय ठाकुरन (2007) 3 एस. सी. सी. 755; पट्टू राजन बनाम तमिलनाडु राज्य (2019) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 354; नंदू सिंह बनाम एम. पी. सी. आर. आई. ऐप. नहीं। 2022 का 285-निर्दिष्ट।

निर्णीत विधि संदर्भ

(1984) 4 एससीसी **116**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

(1973) 2 एस**.** सी**.** सी**. 793**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

(2007) 3 एस**.** सी**.** सी**. 755**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

ग

(2019) 2 पैरा **13** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** सी**. (**सी**.** आर**.** आई**.) 354**

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2017 की आपराधिक अपील संख्या 160।

मद्रास उच्च न्यायालय के सीआरएल में 22.07.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से। 2014 की अपील सं. 482।

डी.

सह

2017 की आपराधिक अपील संख्या 410

श्रीमती एन. एस. नप्पिनाई, असाइथांबी, वी. बालाजी, अतुल शर्मा, सी. कन्नन, निजामुद्दीन, राकेश के. शर्मा, सी. बी. गुरुराज, अनिमेश दुबे, सलीम गुल, डॉ. नंदा किशोर, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., सुश्री नूपुर शर्मा, शोभित द्विवेदी, संजीव के. आर. महारा, सुश्री वैदेही रस्तोगी, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ई.

च

बेला एम**.** त्रिवेदी**,** न्या**.**

1. 2017 की आपराधिक अपील संख्या 160 और 2017 की 410 दोनों ही दिनांकित सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं।22 मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जुलाई 2016 में आपराधिक अपील संख्या 436/2014,482/2014,490/2014,175/2015 और 176/2015 में पारित किया गया, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उक्त अपीलों को खारिज करते हुए सत्र न्यायाधीश, कोयंबटूर (इसके बाद "ट्रायल कोर्ट" के रूप में संदर्भित) द्वारा सत्र मामला संख्या 187/2008 में 22 जुलाई, 2014 के फैसले और आदेश की पुष्टि की है।निचली अदालत ने वर्तमान अपीलकर्ताओं यानी एस. कलीस्वरन (मूल अभियुक्त संख्या 5), जॉन एंथोनिसामी @जॉन (मूल अभियुक्त संख्या 1) को अन्य तीन अभियुक्तों यानी ए.

जी.

एच.

43

एस. कालीस्वरन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य पोलाची टाउन ईस्ट पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर जिला, तमिल नाडु [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

राजेश कुमार उर्फ राजेश (मूल अभियुक्त संख्या 4), आर. गणेशकुमार उर्फ गणेश (मूल अभियुक्त संख्या 3) और मुथुमनिकम उर्फ मुथु (मूल अभियुक्त संख्या 2) को धारा 120 (बी), 147,364 और 302 के साथ 120 (बी)/149,201 और 396 आई. पी. सी. के तहत अपराध के लिए और उन्हें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सजा सुनाई गईः

ग

डी.

ई.

पीड़ित अपीलार्थी (अभियुक्त सं. 1) जॉन एंथोनिसामी @जॉन ने 2017 की आपराधिक अपील सं. 410 को प्राथमिकता दी है और अपीलार्थी (अभियुक्त सं. 5) एस. कलीस्वरन ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले को चुनौती देते हुए 2017 की आपराधिक अपील सं. 160 को प्राथमिकता दी है।अन्य तीन अभियुक्तों ने कोई अपील दायर नहीं करने का फैसला किया है।

च

2. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी नं।1 जॉन एंथोनिसामी एक टैक्सी चालक था, आरोपी नं। 2 मुथुमनिकम अभियुक्त नं. 2 का मित्र था।1, और आरोपी नं। 3, 4 और 5 आरोपी नं.2. आई. डी. 1 पर लगभग 7 बजे आरोपी नं.1 अभियुक्त नं. के साथ साजिश रची।2 और पंजीकरण संख्या वाली राजदूत कार की डकैती करने की योजना बनाई। टीएन-41-पी-4980 और उक्त कार के चालक जॉन थॉमस की हत्या का कारण बनने के लिए।को आगे बढ़ाने के लिए

जी.

एच.

उक्त योजना के अनुसार, अभियुक्त ने उक्त जॉन थॉमस को पोल्लाची में अग्निशमन सेवा कार स्टैंड पर आने के लिए कहा।जब जॉन थॉमस उक्त स्थान पर एंबेसडर कार में पहुंचे, तो उन्होंने नहीं का आरोप लगाया।1 अभियुक्त नं.4 राजेश ने उक्त राजदूत कार को दो घंटे के लिए किराए पर लिया और जॉन थॉमस से 12 बजे तक आने का अनुरोध किया:30 पी. एम. जॉन थॉमस तदनुसार आरोपी नं.1 यानी, शक्ति होटल, पोल्लाची में, अपनी राजदूत कार के साथ। आरोपी नं.1 इसके बाद कार में बैठ कर उदुमलपेट की ओर बढ़े।18.07.2007 पर लगभग 1 बजे:30 पी. एम., अभियुक्त नं. 1 और चालक जॉन थॉमस उदुमलपेट बस स्टैंड पर पहुंचे, जहाँ आरोपी नं। 2 अभियुक्त नं. 2 के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। 3 से 5।इसके बाद सभी आरोपी उक्त राजदूत गाड़ी में सवार हो गए और लगभग 02 बजे अम्मापट्टी की ओर बढ़े:45 पी. एम., सभी पाँचों अभियुक्तों ने चालक जॉन थॉमस को वडबूथानम और अम्मापट्टी रोड के बीच सड़क पर एक सुनसान जगह के पास कार रोक दी।सभी अभियुक्तों ने अपने द्वारा रची गई साजिश को आगे बढ़ाते हुए टैक्सी चालक जॉन थॉमस की हत्या कर दी।इसके बाद आरोपी ने सबूतों को गायब करने के इरादे से जॉन थॉमस के शव को एक गड्ढे में दफना दिया।इसके बाद राजदूत कार को उनके द्वारा तिरुवरूर के राजेंद्रन को बेच दिया गया और उन्होंने कार की बिक्री से प्राप्त आय को साझा किया।जॉन थॉमस के एक सप्ताह तक लापता रहने के बाद, जॉन थॉमस की पीडब्लू-1 पत्नी ने 25.07.2007 पर एक शिकायत दर्ज कराई, जो लापता व्यक्ति के लिए पोल्लाची (पूर्व) पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

ग

डी.

ई.

3. जाँच अधिकारी ने जाँच पूरी करने के बाद सभी पाँचों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।निचली अदालत ने सभी पांचों अभियुक्तों पर धारा 120 (बी), 147,364,201,396 आई. पी. सी. के तहत आरोप लगाए थे। 3, 4 और 5 पर धारा 304 आई. पी. सी. और अभियुक्त सं. के तहत अपराध के लिए अतिरिक्त आरोप लगाए गए। 1 और 2 पर धारा 302 आर/डब्ल्यू 120 (बी)/149 आई. पी. सी. 4 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।सभी अभियुक्तों ने अपना अपराध छोड़ दिया और मुकदमा चलाने का दावा किया, अभियोजन पक्ष ने 28 गवाहों से पूछताछ की और अपने अपराध को साबित करने के लिए 43 दस्तावेज पेश किए।धारा 313 Cr.PC के तहत दर्ज अपने आगे के बयानों में, उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था।

च

जी.

5. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने कहा कि अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है जिससे आरोपी के अपराध का एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलता है।उनके अनुसार, उच्च न्यायालय ए

एच.

45

एस. कालीस्वरन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य पोलाची टाउन ईस्ट पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर जिला, तमिल नाडु [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

अभियुक्त नं. द्वारा कथित रूप से किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भरोसा करना उचित नहीं था। 1, अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत साबित नहीं होने के कारण, और यदि उक्त साक्ष्य को खारिज कर दिया जाता है, तो अन्य साक्ष्यों की विश्वसनीयता, विशेष रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 की, संदिग्ध हो जाती है।मृतक के शव की पहचान भी उचित रूप से साबित नहीं हुई थी।एक अभियुक्त एन. ओ. एस. से कथित बरामदगी। 2 से 5 को सार्वजनिक स्थान से बनाया गया था जिसका अपराध से कोई संबंध नहीं था।अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तावित अंतिम देखे गए सिद्धांत पर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भरोसा नहीं किया जा सकता था कि पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 के बयान, जिन्होंने कथित रूप से मृतक को आरोपी संख्या के साथ देखा था।1, मृतक के लापता होने की कथित घटना के लगभग छह महीने बाद दर्ज किया गया था।तथापि, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता डॉ. जोसेफ अरस्तू एस. ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की पूरी तरह से सराहना करने के बाद, यह न्यायालय इसे परेशान नहीं कर सकता है।उनके अनुसार, हालांकि उच्च न्यायालय ने आरोपी नं.1, सभी अभियुक्तों को कथित अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत थे।मृतक के शव की पहचान, अभियुक्त के कहने पर की गई वस्तुओं की दोषपूर्ण बरामदगी और खोजों को विधिवत साबित किया गया था, परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला विधिवत साबित हुई थी, जिससे सभी अभियुक्तों के अपराध के बारे में अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकला था।

ग

डी.

ई.

6. शुरुआत में, यह कहा जा सकता है कि अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था।जब अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है तो साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में कानून बहुत अच्छी तरह से तय किया जाता है।शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1 के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित और कई निर्णयों में अनुसरण किए गए पाँच सुनहरे सिद्धांत पुनः प्रस्तुत करने योग्य हैंः

च

“153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

जी.

क**.** जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है**,** उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

एच.

1 (1984) 4 एससीसी 116।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ 'होनी चाहिए या होनी चाहिए' और 'नहीं' स्थापित की जा सकती हैं।'साबित किया जा सकता है' और 'होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए' के बीच न केवल एक व्याकरणिक बल्कि एक कानूनी अंतर है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहबराव बोबडे और अन्न बनाम में अभिनिर्धारित किया गया था।महाराष्ट्र राज्य **2** जहाँ निम्नलिखित अवलोकन किए गए थेः

निश्चित रूप से**,** यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि कोई न्यायालय किसी अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने से पहले **(**अभियुक्त**)** को दोषी होना चाहिए और न केवल दोषी हो सकता है और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच मानसिक अंतर गहरा है और निश्चित निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।"

ग

ख**.** इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए**,** अर्थात**,** वे किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

डी.

ग**.** परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए**,**

घ**.** उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए**,** और**,**

ई.

ई**.** साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।"

च

7. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, आइए हम जांच करें कि क्या अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित किया था, परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला, आरोपी के लिए कानून के चंगुल से बचने के लिए कोई कड़ी गायब नहीं छोड़ी थी।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त नं. द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भारी निर्भरता रखी गई थी।1 अभियुक्त नं. 1 के पूर्व नियोक्ता कार्तिकेयन को संबोधित एक अंतर्देशीय पत्र के माध्यम से। 1 जिसने 29.12.2007 पर वही प्राप्त किया था।ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त का कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति नं। 1 वह प्रेरक बिंदु था जिसने जाँच अधिकारी को आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

जी.

एच.

2 (1973) 2 एससीसी 793।

47

एस. कालीस्वरन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य पोलाची टाउन ईस्ट पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर जिला, तमिल नाडु [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

क.

कथित घटना के लगभग पाँच महीने बाद जांच, जो 18.07.2007 पर हुई थी।इस तथ्य के अलावा कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति सबूत का एक बहुत ही कमजोर टुकड़ा है, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में इस आधार पर उस पर भरोसा करने से इनकार कर दिया था कि न तो लिखावट विशेषज्ञ की जांच की गई थी और न ही लिखावट विशेषज्ञ की कोई राय अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई थी।यह नहीं कहा जा सकता है कि जब अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति विधिवत साबित नहीं होती है, या विश्वास को प्रेरित नहीं करती है या किसी अन्य विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है, तो दोषसिद्धि केवल ऐसे कमजोर साक्ष्य पर आधारित नहीं हो सकती है।तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष ने आरोपी नं.1 पी. डब्ल्यू.-19 को कथित रूप से संबोधित अंतर्देशीय पत्र में निहित, और न ही किसी विशेषज्ञ की राय प्राप्त होने के बाद, हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने आरोपी नं.1.

ग

9. अगली परिस्थिति जिस पर अभियोजन पक्ष ने भारी निर्भरता रखी थी, वह पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए "आखिरी बार एक साथ देखे जाने" के सिद्धांत के संबंध में थी।यह उल्लेखनीय है कि दोनों गवाह टैक्सी चालक थे और उसी टैक्सी स्टैंड से टैक्सियों का संचालन कर रहे थे जहाँ से मृतक अपनी टैक्सी चला रहा था, हालाँकि उनके बयान कथित घटना के लगभग छह महीने बाद जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए थे।पीडब्लू-6 ने निचली अदालत के समक्ष गवाही दी थी कि आईडी1 पर वह अपने दोस्त से मिलने के लिए पोल्लाची में दुरई सिनेमा थिएटर के पास खड़ा था और लगभग 12 बजेः45 पी. एम. अभियुक्त नं.1 उसे शक्ति होटल के पास खड़ा देखा गया, जो उस जगह के पास स्थित था जहां वह (पीडब्लू-6) खड़ा था। उन्होंने आगे कहा कि कुछ ही समय के भीतर, जॉन थॉमस (मृतक) अपनी टैक्सी चलाते हुए उक्त स्थान पर आया, जिस पर पंजीकरण संख्या थी। टीएन-41-पी-4980।उन्होंने (पीडब्लू-6) देखा कि आरोपी नं।1 कुछ समय के लिए मृतक से बात कर रहा था, और उसके बाद आरोपी नं।1 गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गए और फिर दोनों गाड़ी में चले गए।इस गवाह के अनुसार उन्होंने इसके बाद मृतक जॉन थॉमस को नहीं देखा।पीडब्लू-7 एक टैक्सी चालक भी था।उन्होंने अदालत के समक्ष अपने बयान में कहा कि आईडी1 पर जब वह पलानी से उदुमलपेट बस स्टैंड के रास्ते लौट रहे थे, तो उन्होंने जॉन थॉमस द्वारा चलाई जा रही टैक्सी को देखा।इसलिए उसने अपनी टैक्सी को धीमा कर दिया और देखा कि वह (जॉन थॉमस) चालक की सीट पर था, और आरोपी नं।1 जिसे वह जानता था वह सामने की सीट पर था।उनके अनुसार, उन्होंने कार में चार अन्य लोगों को बैठे हुए भी देखा, लेकिन उस समय वह उन्हें नहीं जानते थे।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

10. पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह प्रतीत होता है कि इस तथ्य के अलावा कि कथित घटना के छह महीने बाद जांच अधिकारी द्वारा उनके बयान दर्ज किए गए थे, अदालत के समक्ष उनके साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं।पीडब्लू-6 ने जिरह में स्वीकार किया था कि उसे मृतक को आरोपी संख्या के साथ देखने के एक सप्ताह के भीतर लापता होने के बारे में पता चला था।1. छह महीने तक अपने साथी टैक्सी चालकों या पुलिस को इस महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा न करने के उसके व्यवहार की सराहना करना मुश्किल है कि उसने मृतक को अंत में आरोपी नं.1.जहाँ तक पीडब्लू 7 का संबंध है, उसने बयान दिया था कि उसे मृतक के लापता होने के बारे में तभी पता चला जब पुलिस 01.01.2008 पर पूछताछ के लिए आई।हमारी राय में, जब जांच अधिकारी बार-बार टैक्सी स्टैंड पर आ रहे थे, जहां पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 सहित सभी टैक्सी चालक मृतक के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए खड़े रहते थे, और जब स्थानीय समाचार पत्रों,

टेलीविजन और रेडियो में मृतक के लापता होने के बारे में व्यापक प्रचार किया गया था, तो यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि पीडब्लू-7 को मृतक के लापता होने के बारे में तभी पता चला जब पुलिस घटना के छह महीने बाद जांच करने के लिए उसके पास आई।पीडब्लू-7 ने यह भी स्वीकार किया था कि वह अन्य चार अभियुक्तों को नहीं जानता था जो अभियुक्त नं.1 और घटना की कथित तिथि पर मृतक।जब घटना की तारीख और जांच अधिकारी द्वारा गवाहों के बयान दर्ज करने की तारीख के बीच लगभग छह महीने से अधिक का भारी समय अंतराल था, तो परीक्षण पहचान परेड ने पुलिस को पीडब्लू-7 द्वारा देखे गए आरोपी की पहचान करने में सहायता की होगी, हालांकि जांच अधिकारी द्वारा ऐसी कोई टीआई परेड आयोजित नहीं की गई थी। इसलिए, अभियुक्त एन. ओ. एस. की पहचान। इन गवाहों के कहने पर 2 से 5 भी बहुत संदिग्ध हो जाते हैं।

ग

डी.

ई.

च

11. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि एक साथ देखने वाले व्यक्तियों और अपराध के निकटवर्ती समय के बीच काफी समय का अंतर है, तो पिछली बार एक साथ देखी गई परिस्थितियाँ, भले ही साबित हो, स्पष्ट रूप से नहीं हो सकती हैं।

अभियुक्त के अपराध को तेज़ करें।**(** गोवा राज्य बनाम संजय ठाकुरन **3)**।

12. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में आरोपी की विफलता, जिसमें धारा 313 Cr.PC के तहत यह समझाने के लिए "आखिरी बार एक साथ देखा गया सिद्धांत" शामिल था कि पीड़ित को किन परिस्थितियों में मौत का सामना करना पड़ा, यह भी एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं होगा कि आरोपी कथित अपराध करने में शामिल थे।

जी.

एच.

3 (2007) 3 एससीसी 755 ए

49

एस. कालीस्वरन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य पोलाची टाउन ईस्ट पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर जिला, तमिल नाडु [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

तत्काल मामले में, भले ही अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तावित "अंतिम बार एक साथ देखे जाने" के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए, फिर भी एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि आरोपी कथित अपराधों के दोषी हैं, केवल इसलिए कि वे यह समझाने में विफल रहे कि पीड़ित को किन परिस्थितियों में मौत का सामना करना पड़ा।

13. अभियोजन पक्ष द्वारा जिस अगली परिस्थिति पर भरोसा किया जाता है, वह है शरीर की पहचान।यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब कॉर्पस पाया गया, तो वह अत्यधिक सड़ी हुई स्थिति में था।मृतक के लापता होने की घटना की तारीख से लगभग 5 महीने बाद कंकाल के अवशेष पाए गए।इसलिए, फोरेंसिक विशेषज्ञ पीडब्लू-16 के माध्यम से खोपड़ी सुपर-इम्पोजिशन परीक्षण करवाकर पहचान की गई।पट्टू राजन बनाम तमिलनाडु राज्य 4 में, इस न्यायालय ने समझाया है कि हालांकि अधिरोपण के माध्यम से मृतक की पहचान एक स्वीकार्य राय साक्ष्य है, हालांकि अदालतें आम तौर पर अपनी दोषपूर्णता को देखते हुए एकमात्र दोषपूर्ण परिस्थितियों के रूप में राय साक्ष्य पर भरोसा नहीं करती हैं, और अधिरोपण तकनीक को अचूक नहीं माना जा सकता है।वर्तमान मामले में, चूंकि सुपर-इम्पोजिशन रिपोर्ट किसी अन्य विश्वसनीय चिकित्सा साक्ष्य जैसे डी. एन. ए. रिपोर्ट या पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट द्वारा समर्थित नहीं थी, इसलिए सुपर-इम्पोजिशन परीक्षण के माध्यम से पीड़ित के शव की पहचान पर विश्वास करते हुए आरोपी को दोषी ठहराना बहुत जोखिम भरा होगा।यह सच है कि मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, यदि पूरी श्रृंखला ठोस साक्ष्य द्वारा विधिवत साबित होती है, तो दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, भले ही शव नहीं मिला हो, लेकिन जब अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़ित का शव आरोपी द्वारा दिखाए गए स्थान से मिला था, तो अभियोजन

पक्ष की ओर से यह साबित करना अनिवार्य है कि मृत शरीर या आरोपी के कहने पर पाया गया कंकाल पीड़ित का था और किसी और का नहीं था।

ग

डी.

ई.

च

14. अदालत अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुति में भी सार पाती है कि अभियोजन पक्ष भी कथित अपराध करने के लिए आरोपी के उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा था।जैसा कि नंदू सिंह बनाम एम. पी. 5 राज्य में अभिनिर्धारित किया गया है, हालांकि प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में, उद्देश्य प्रासंगिक नहीं होगा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, उद्देश्य परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाता है।तत्काल मामले में, पीडब्लू-8 श्री राजेंद्रन, जिन्हें मृतक की राजदूत कार कथित रूप से आरोपी द्वारा बेची गई थी, मुकर गए थे और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था कि आरोपी ने पीडब्लू-8 को कार बेचकर पैसे प्राप्त किए थे।

जी.

4 (2019) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 354।

एच.

5 क्राई। ऐप. 2022 की संख्या 285 (25 फरवरी, 2022)।

15. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था, वे अपीलार्थी-अभियुक्त की निर्दोषता की परिकल्पना को दूर करने के लिए श्रृंखला को पूरा नहीं कर सके।अभियोजन पक्ष स्पष्ट, ठोस और सुसंगत साक्ष्य के माध्यम से, घटनाओं की श्रृंखला को स्थापित करने में विफल रहा, जिसके आधार पर अपीलकर्ता-अभियुक्तों का अपराध स्थापित किया जा सकता था, हमारी राय में, नीचे दिए गए न्यायालयों ने अभियोजन के मामले को स्वीकार करने और उन्हें कथित अपराध के लिए दोषी ठहराने में त्रुटि की थी।

16. मामले के उस दृष्टिकोण में, निचली अदालत द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निर्णयों और दोषसिद्धि और सजा के आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है।दोनों अपीलार्थी-अभियुक्त और अन्य तीन अभियुक्त जिन्होंने कोई अपील दायर नहीं की है, उन्हें किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं होने पर तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

ग

17. अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

डी.

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

ई.

च

जी.

एच.